तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमप्रकाश बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 53 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र स्व. मांगीलाल, पता अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय गॉधी टॉवर, चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.01.20 में उसके द्वारा (1) जोधपुर तहसील मौजा पालासनी में राजस्थान सरकार के आदेश की पालना में सेकीकेशन का कार्य लम्बित समय से चल रहा है, 1–आज दिनांक तक कुल कितने खातों का सेकीकेशन (जमाबंदी) में पूर्ण कर दिया गया है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा तहसीलदार जोधपुर ने अपने जरिये पत्रांक 138 दिनांक 17.02.2020 एक पृष्ठीय सूचना प्रेषित गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक 233 दिनांक 11.03.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि अपीलार्थी को जरिये 138 दिनांक 17.02.2020 को उपलब्ध करायी जा चुकी है। अपनी रिपोर्ट के साथ भेजे गये पत्र दिनांक 17.02.20 एवं 28.02.20 की प्रति भी संलग्न की है। अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि सूचना बिन्दु 1 में कुल 894 खातों निस्तारण होना एवं बिन्दु संख्या 3 में कुल 664 खाते दर्ज होना बताया गया अतः स्पष्ट सूचना नहीं है। बिन्दु संख्या 5 बाबत् सूचना नहीं देना कहा। अपील में बिन्दु संख्या 4 से संबंधित सूचना (उक्त कार्य को पूर्ण करने में अब कितने दिन और लगने की संभावना है) प्रश्नात्मक न मानते हुए तथ्यात्मक होना बताया गया, अपीलार्थी के इस कथन से हम सहमत नहीं है। सूचना वही देय है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध हो या तथ्यात्मक सूचना हो। तहसीलदार जोधपुर के पत्रांक 192 दिनांक 28.02.20 के द्वारा 30 पृष्ठीय सूचना दी जा चुकी है	

जिसकी प्राप्ति के अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी किये हुए है। अतः अपील आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि दी गई अपीलार्थी द्वारा सूचना बिन्दु संख्या 1 व 3 के बारे में आक्षेप किया, उसका स्पष्टीकरण अपीलार्थी को 15 दिन में प्रेषित करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।